6/2/24	पत्रावली पेश हुई। रजिस्टर्ड प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में उक्त वाद अधिवक्ता मेहरबान सिंह के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते भी मौखिक रूप से उपस्थित होकर उक्त निवेदन पत्र में मुकदमे के रोकी अवधि नहीं है। अतः अधिवक्ता प्रतिवादी प्रार्थना पत्र अस्वीकृत एवं समाप्त कर प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

अति० जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Beena Mahawar
Date: 2024.03.05 16:35:52 IST
Reason: SelfAttested